परिवादी द्वारा कोई नही।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण कार्फ
समय से लंबित है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु बार बा
गिरफतारी वारंट जारी किए जा रहे है किंतु अभियुक्त
कीउपस्थिति सुनिश्चत नही हो पा रही है ऐसा प्रती
होता है कि अभियुक्त के निकट भविष्य मे मिलने की
संभावना नही है। अतः ऐसी स्थिति मे अभियुक्त को फरा
घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी वारं
जारी किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी मे दर्ज कर नियत अवधि
मे इस टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जाय कि
अभियुक्त फरार है प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।

(आदेश कुमार जैन)
विशेष न्यायाधीश
विद्युत अधिनियम 2003
पिपरिया जि. होशंगाबाद (म.प्र.)

Scanned by CamScanner